

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प.2(2)चिस्वा/2/2016

जयपुर, दिनांक : 06.07.2017

आदेश

10

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 के नियम-24 बी एवं 24 बीबी (5) के अन्तर्गत गठित स्क्रीनिंग कमेटी की अभिशंषा पर निम्नांकित उप निदेशकों को डी.ए.सी.पी. स्कीम के अन्तर्गत उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर (वेतनमान 37400-67000 में ग्रेड पे 8700/-) पदोन्नत किया जाता है, सेवानिवृत्त अधिकारियों को छोड़कर शेष अधिकारी यथावत पदस्थापित रहेंगे।

S. No.	Name of Sr. Medical Officer	Category	Date of Birth	Dy. Director Salection Year	DACP Due Date
1	DINESH KUMAR SHARMA	Gen	13-06-55	DPC-2010-11	01-04-13
2	KUSUM MATHUR	Gen	17-01-57	DPC-2010-11	01-04-13
3	RAMESH CHAND SHARMA	Gen	08-05-57	DACP 11-07-2011	01-04-14
4	HANS RAJ MEENA	ST	20-07-56	DACP 11-07-2011	01-04-14
5	SHYAM LAL MUNDRA	Gen	12-11-56	DACP 11-07-2011	01-04-14
6	RAJENDRA PRASAD JAIN	Gen	23-08-55	DACP 11-07-2011	01-04-14
7	GYAN PRAKASH MAHESHWARI	Gen	18-06-56	DACP 11-07-2011	01-04-14
8	SUSHMA VYAS	Gen	10-07-56	DACP 11-07-2011	01-04-14
9	PRIYA DARSHAN VIJAY	Gen	06-09-56	DACP 11-07-2011	01-04-14
10	BHUSHAN SALODIYA	SC	06-11-56	DACP 11-07-2011	01-04-14
11	GANGU JIWAJI PARMAR	SC	30-04-59	DACP 11-07-2011	01-04-14
12	PRITHVI RAJ MEENA	ST	28-06-57	DACP 11-07-2011	01-04-14
13	NIDHI SAXENA (SMT.)	Gen	10-08-60	DACP 11-07-2011	01-04-14
14	INDRA PAL SINGH PUNIYA	Gen	05-12-55	DACP 11-07-2011	01-04-14
15	UDAIBHAN YADAV	Gen	20-05-58	DACP 11-07-2011	01-04-14
16	RAM SINGH MEENA	ST	20-07-58	DACP 11-07-2011	01-04-14
17	ASHOK KUMAR JAIN	Gen	30-04-55	DACP 11-07-2012	01-04-15
18	OM PRAKASH	SC	02-07-57	DACP 11-07-2011	01-04-15 (परिनिन्दा का दण्ड)
19	ROSHAN LAL DHANKA	SC	11-07-59	DACP 11-07-2011	01-04-15 (एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोके जाने के कारण)

20	JAI PRAKASH NARAYAN	SC	05-12-56	DACP 11-07-2013	01-04-16
21	RAJESH KUMAR MITTAL	GEN	04-07-59	DACP 11-07-2011	01-04-16
22	DEEPA GUPTA	Gen	28-08-64	DACP 11-07-2011	01-04-16
23	RENU AGRAWAL	GEN	20-10-65	DACP 11-07-2011	01-04-16
24	BRAJ MOHAN SHARMA	Gen	10-09-64	DACP 11-07-2011	01-04-16

- नोट: 1. सभी संबंधित नियंत्रण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त चिकित्सकों से अचल सम्पत्ति का विवरण एवं कार्मिक विभाग की अधिसूचना के अनुसार बच्चों की सूचना प्राप्त कर ही आवश्यक कार्यवाही करें।
2. उक्त चिकित्सकों का सहायक लेखाधिकारी द्वारा चिकित्सक की सर्विस बुक से पूर्ण सेवा सत्यापन एवं वेतन स्थरीकरण की जांच करने के उपरान्त वेतन निर्धारण करने की अनुशंसा के आधार पर संबंधित कार्यालयाध्यक्ष वेतन निर्धारण करेंगे।
3. उक्त चिकित्सकों के आरोप पत्र/असाधारण अवकाश या सेवा में व्यवधान/अनुपस्थित होने पर वेतन निर्धारण नहीं कर प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित करेंगे।
4. जिला एवं जोनल मुख्यालय पर प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में पदस्थापित होंगे एवं मुख्यालय (निदेशालय) में इन्हें अपर निदेशक के रूप में डेजिनेट किया जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से

(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- निजी सचिव, मा. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय/मा. राज्य मंत्री महोदय
- 2- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकि. एवं स्वा. विभाग, राज. जयपुर।
- 3- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- 4- निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक/श्रम एवं नियोजन विभाग
- 5- मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जयपुर/प्रबन्ध निदेशक, आर. एम. सी. एल., जयपुर।
- 6- संबंधित कमाण्डर, आर. ए. सी./पुलिस महानिदेशक/मुख्य कार्य. अधिकारी, नगर निगम/नगर परिषद
- 7- समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज.
- 8- संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, राजस्थान
- 9- संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/प्रधानाचार्य, आर. एफ. पी. टी. सी.
- 10- संबंधित अधिकारी
- 11- कम्प्यूटर सैल/निजी/रक्षित पत्रावली।
- 12- प्रभारी सर्वर रूम, निदेशालय, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि वे उक्त आदेश आज ही विभाग की बेवसाईड पर अपलोड करावें।

(मोहन लाल वर्मा)
शासन सहायक सचिव